

बनाम

जिला मंगानगर

अन्तर्गत धारा

दिनांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं ति  
जो इस आदेश  
पालना में

3/8/22

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। जवाब  
सैर पेश नहीं करने पर बंद किया  
जाता है बहस एकपक्षीय सुनी गई।  
व पत्रावली का उपलोकन किया गया  
प्रकरण में अप्राची स.। ता.पु के विरुद्ध  
एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है।  
प्रथम दृष्टया मामला अधिवाह का संकुलन  
व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्राची  
के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः  
प्राची का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
२१२ RTA स्वीकार किया जाता है। व  
प्रकरण में जारी दिनांक ०६/१०/२०२१  
की अस्थायी निषेधाज्ञा मूलवाद के  
निर्णय तक स्थायी किया जा रहा है।  
पत्रावली निर्णय हाकूर नम्बर से  
काग हाकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



*(Handwritten signature)*